



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27514

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1807 वर्ष 2026

महेंद्र प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गिरीश कुमार मिश्रा, हरि ओम शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता ने इससे पहले मुख्य जेल वार्डन के रूप में तैनात रहते हुए कासगंज से बरेली स्थानांतरण की मांग करते हुए रिट-ए संख्या 15847 वर्ष 2025, महेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 04.12.2025 के आदेश के गुण-दोष के आधार पर इस आधार पर नकार दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने जो स्थानांतरण मांगा था वह स्थानांतरण नीति में निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद था और आगामी स्थानांतरण नीति में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाएगा।
3. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपनी राहत को इस सीमा तक सीमित रखते हैं कि आगामी स्थानांतरण नीति में विचार करने हेतु निर्देश जारी किया जाए।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह का कहना है कि जैसे ही स्थानांतरण नीति लागू होगी, आगामी स्थानांतरण नीति में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाएगा।
5. अदालत में दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। रिट याचिका को इस अपेक्षा के साथ निस्तारित किया जाता है कि सक्षम समिति याचिकाकर्ता की इस शिकायत पर विचार करे कि याचिकाकर्ता अपनी पसंद के स्थान (बरेली) पर स्थानांतरण के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"